



सार्वजनिक सूचना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 01.11.1993 से पेंशन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार (पत्र संख्या F.No.- 8/4/2024-RRB दिनांक 03-10-2024), यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में पेंशन योजना को 01-11-1993 से लागू किया जाए (जो वर्तमान में 01-04-2018 से लागू है)।

अतः, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यह सूचित किया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जो 31-03-2010 को या उससे पहले बैंक की सेवा में थे एवं 31-01-2018 तक सेवानिवृत्त / अनिवार्य सेवानिवृत्त / पदच्युत / सेवा से हटाए गए / सेवा समाप्त किये गए / इस्तीफा दे चुके / मृत हो चुके हैं एवं वर्तमान में पेंशन नहीं ले रहे हैं, ऐसे सभी कर्मचारी / कर्मचारियों के कानूनी वारिस, पेंशन से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रथमा यू० पी० ग्रामीण के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रथमा यू० पी० ग्रामीण के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें, पेंशन / अनुकम्पा भत्ता हेतु ऊपर वर्णित सभी कर्मचारियों को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर एवं दिवंगत कर्मचारियों के परिवार को तीस दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से प्राप्त बैंक अंशदान राशि (देय ब्याज सहित) बैंक को वापिस करना सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा वे पेंशन / अनुकम्पा भत्ता के अनिक्षुक माने जायेंगे।

महाप्रबंधक (मानव संसाधन विभाग)

प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय, मुरादाबाद